

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025 3830

दिनांक 17/10/2025

उपरोक्त प्रकार में सुमित्रा देवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्राथमिक पत्र अ-तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 214 /2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयानुगत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 21 /भू.अ./2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अ-तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम सहगाँली पटवार हल्का सहगाँली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में नूगे खाता संख्या 292 में खातेदार सुनिता देवी सुनीता देवी पुत्री सुनीता देवी के स्थान पर सुमित्रा देवी अफ सुनिता देवी पुत्री का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का सहगाँली उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025 3830-32

दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का सहगाँली तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

